आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.23(80)लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2022–23/ 1385 दिनांकः 28/11/2022

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय
राजकीय/निजी विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2022–23 के ऑनलाईन आवेदन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2022–23 के ऑनलाईन आवेदन विज्ञप्ति क्रमांकः–एफ.23(80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022–23/1162 दिनांकः–18.10.2022 जारी कर आवेदन 20.10.2022 से प्रारम्भ कर अन्तिम तिथी 30.11.2022 रखी गई है। योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home page पर उपलब्ध है।

विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांकः–एफ23(46)लेखा/आकाशि/विविध/2021–22/955 दिनांक 30.12.2021 जारी किया गया था जिसमें ऑनलाईन आवेदन के साथ तीन दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया था (परिपत्र की प्रति संलग्न है)।

उपरोक्त योजनाओं के ऑनलाईन आवेदनों की जांच करते समय अनावश्यक आक्षेप नहीं लगाये जायें। आक्षेप की स्थिति में यथा समय सहयोग द्वारा विद्यार्थियों से व्यक्तिगत/दूरभाष पर सम्पर्क करके आक्षेपों का निस्तारण करावें। ऑनलाईन आवेदनों की जांच नियमित रूप से करावें। ताकि प्रक्रिया समयानुसार पूर्ण की जा सकें।

कृपया इस विभाग द्वारा संचालित उपरोक्त योजनाओं का जिला/ब्लॉक/ग्राम–पंचायत स्तर पर अधिकाधिक प्रचार–प्रसार एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करावें, जिससे छात्र–छात्राऐं योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

28.11.22
(डॉ. ललिता शर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राज., जयपुर

क्रमांकः एफ.23(80)लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2022–23/ 1386 दिनांकः 28/11/2022

प्रतिलिपिः– प्रभारी वेबसाइट को अपलोड़ हेतु।

Sd/-
मुख्य लेखाधिकारी

D:\LETTER.DOCX

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2021–22/955 दिनांक–30.12.2021

परिपत्र

बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु सं.–249 की क्रियान्विती हेतु इस विभाग द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रक्रिया में जटिलता का सरलीकरण एवं ऑनलाइन करते हुए जन आधार पोर्टल से प्रार्थी की जन आधार प्रोफाइल से मेटा डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण डाटा का उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2021–22 में निम्न योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन के साथ मात्र निम्न दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है:–

[I] मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज:

(i) आय प्रमाण पत्र (छः माह से पुराना न हो) –आय के प्रमाणीकरण हेतु

(ii) प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु)

(iii) अंक तालिका (न्यूनतम प्राप्तांक से उतीर्ण के प्रमाण हेतु)

[II] विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:

(i) आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का प्रमाण पत्र (स्व –प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति/डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावे/समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होगें/सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे

(ii) प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु)

(iii) अंक तालिका (न्यूनतक प्राप्तांक से उतीर्ण के प्रमाण हेतु)

उक्त प्रावधान सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर